राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 270/2024

सुनिल कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन), ग्रुप–2, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा कौंसिल, जयपुर, राजस्थान।
5. प्रधानाचार्य, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, डग, जिला झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 20.02.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेश खिलेरी, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर ने मॉडल विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति हेतू शालादर्पण पर साक्षात्कार हेतू आवेदन प्रस्तुत किये थे, जिसके अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 05.08.2021 को स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, डग, जिला झालावाड़ आवंटित हुआ था, जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 22.12.2021 को कार्यग्रहण कर लिया था। परिषद द्वारा पत्र दिनांक 22.11.2022 द्वारा एक वर्ष पूरा करने वाले कार्मिकों की मूल विभाग में जाने हेतु सूचना मांगी गई थी, जिसमें अपीलार्थी का पद रिक्त बताया गया था, लेकिन परिषद द्वारा मॉडल विद्यालयों में साक्षात्कार हेतू रिक्त पदों की सूची में अपीलार्थी का पद नहीं दिखाया गया था। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कई बार ई–मेल द्वारा भी परिषद को सूचित किया गया लेकिन अपीलार्थी की परिवेदना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी अब आगे प्रतिनियुक्ति में और अभिवृद्धि नहीं चाहता है। वह अपने मूल विभाग में जाने का इच्छुक है।

2. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

3. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)